Taaqat Ek Boond Ki

नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरीगेशन

के कार्यान्वयन हेतु

(एन. एल. एम. त्रिपाठी)
मिशन मैनेजर
राज्य औद्यानिक मिशन
उद्यान भवन, लखनऊ

मार्ग निर्देश : 2011-12

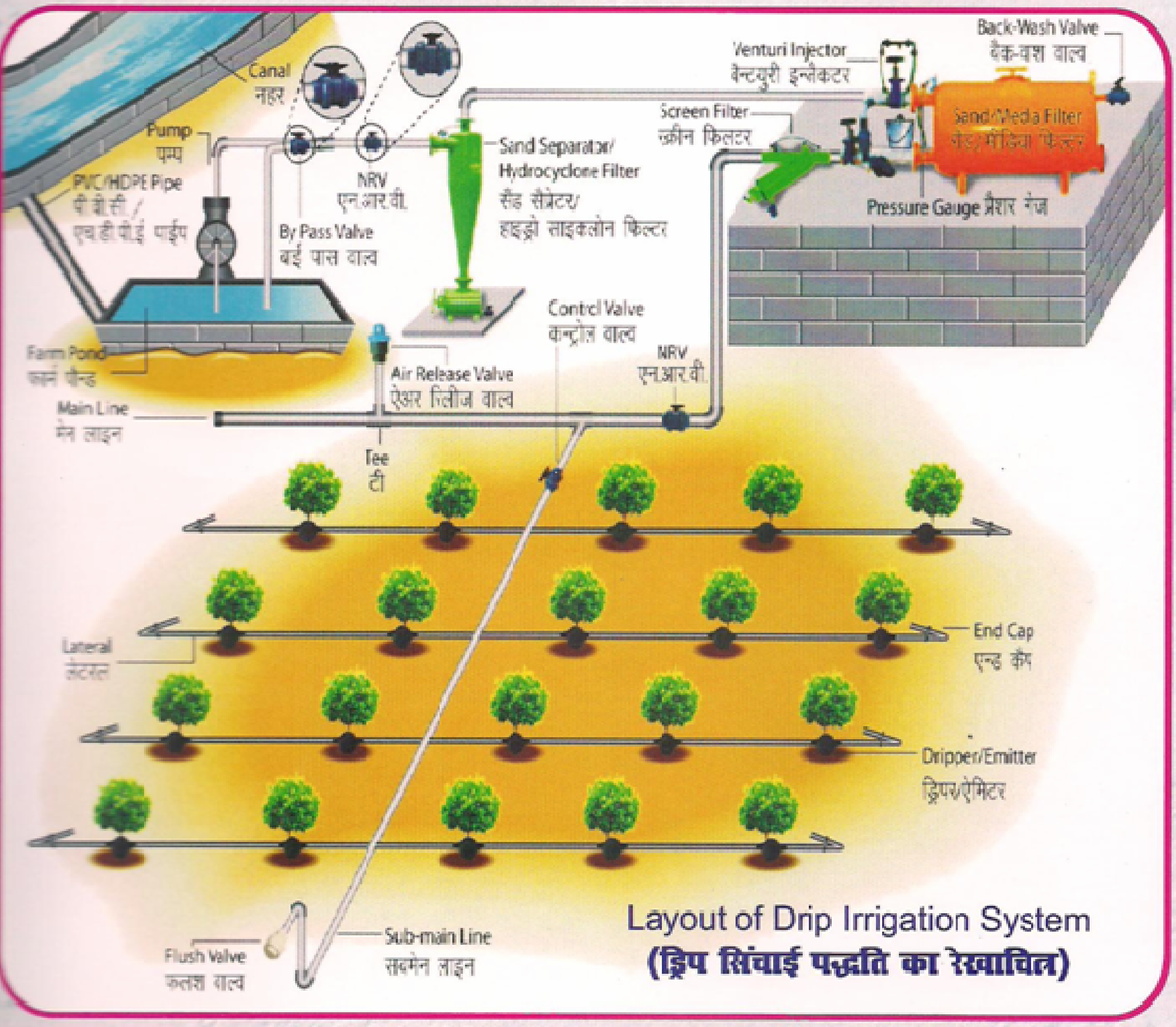

Layout of Drip Irrigation System
(ड्रिप सिंचाई पद्धति का रेखाचित्र)

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0

2–सप्रू मार्ग, लखनऊ

: 2623277 फैक्स : 0522–2621382 email : dirhorti@rediffmail.com

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश

नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरीगेशन (एनएमएमआई)
2011-12

इकाई लागत, अनुदान एवं लाभार्थी अंश

कम्पोनेन्ट/फसल	दूरी	इकाई लागत प्रति है0 (रू0में)	अनुदान (प्रति हैक्टेयर)		कृषक अंश/बैंक ऋण (प्रति हैक्टेयर)	
			लघु सीमान्त कृषक @ 60%	सामान्य कृषक @ 50%	लघु सीमान्त कृषक @ 40%	सामान्य कृषक @ 50%
1) ड्रिप						
आम, आंवला आदि	10X10M	23047	13828	11524	9219	11523
अमरूद, नींबू/बेर/बेल	6X6M	30534	18320	15267	12214	15267
केला	1.5X1.5M	85603	51362	42801	34241	42802
आलू	1.2X0.6M	112238	67343	56119	44895	56119
2) स्प्रिंकलर						
मटर, आलू एवं पत्तेदार सब्जियाँ/ पौधे	..	21901	13140	10950	8761	20806
3) प्रदर्शन (ड्रिप/स्प्रिंकलर) : प्रदर्शन हेतु अधिकतम 0.5 है0 क्षेत्रफल के लिए अनुदान की धनराशि 75% केन्द्रांश के रूप में तथा शेष 25% धनराशि राज्यांश के रूप में वहन करना होगा। यह सुविधा राज्य/केन्द्र सरकार/रा0कृ0वि0वि0/कृषि विज्ञान केन्द्र/प्रतिष्ठित एन0जी0ओ0/ट्रस्ट के स्वयं की भूमि/भा0कृ0अ0प0 संस्थान अथवा बागवानी फसल उगाने वाले प्रगतिशील किसान को अनुमन्य होगी।						
फसल	**दूरी**	**इकाई लागत/है0**	**केन्द्रांश के रूप में (75 प्रति0)**		**राज्यांश के रूप में (25 प्रति0)**	
आम, आंवला आदि	10X10M	23047	17285	17285	5762	5762
अमरूद, नींबू/बेर/बेल	6X6M	30534	22901	22901	7634	7634
केला	1.5X1.5M	85603	64202	64202	21401	21401
आलू	1.2X0.6M	112238	84179	84179	28060	28060
स्प्रिंकलर- मटर, आलू एवं पत्तेदार सब्जियाँ/ पौधे		21901	16426	16426	5475	5475

नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरीगशन योजनान्तर्गत अनुदान/राज सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

1. लाभार्थी का नाम : ______________________

दूरभाष सं0/मोबाईल नं0 : ______________________

2. पिता/पति का नाम : ______________________

3. जाति (अनु0जाति/जनजाति/महिला/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य) : ______________________

4. ग्राम का नाम : ______________________

5. विकास खण्ड/तहसील : ______________________

6. लाभार्थी के नाम कुल क्षेत्रफल (है0) : ______________________

7. प्रक्षेत्र का सर्वेक्षण रिपोर्ट जहां ड्रिप/स्प्रिंकलर पद्धति लगाना है (प्रमाण पत्र संलग्न करें) : ______________________

____

8 अ) क्या लाभार्थी स्वयं/उसके परिवार के सदस्य पूर्व में केन्द्र पोषित ड्रिप/स्प्रिंकलर योजना का लाभ/अनुदान प्राप्त किये हैं?

ब) यदि हाँ तो उसका विवरण दें : ______________________

9 अ) सिंचाई पद्धति जो कृषक प्रयोग कर रहा है : ______________________

ब) क्षेत्रफल (है0)

स) फसलों का विवरण (है0) : ______________________

द) सिंचाई पद्धति स्थापना का वर्ष : ______________________

10. उगायी जाने वाली फसलों का क्षेत्रफल (है0) : ______________________

11. ड्रिप/स्प्रिंकलर पद्धति जिसके लिए लाभार्थी इच्छुक है : ______________________

12. फसल का नाम जिसमें पद्धति स्थापित करना है ______________________

13. क्या पद्धति प्लांटेशन फसल के लिए प्रस्तावित है ______________________

14. अन्तराशस्य फसलों की स्थिति : ______________________

यदि हां तो फसलों का नाम : ______________________

15. कुल सिंचित क्षेत्रफल (है0) : ______________________

____

16. सिंचाई हेतु जल श्रोत :

अ) यदि कूप है तो कुआँ अथवा ट्यूबवेल : ______________________

ब) कुएं का जल स्तर (मीटर में) : ______________________

स) ट्यूबवेल की गइराई (मीटर में) : ______________________

17. जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट
(परीक्षण रिपोर्ट संलग्न करें) : ______________________

18. कुएं का दैनिक प्रयोग का समय : ______________________

19 अ) यदि नहर है तो जल भण्डारण की व्यवस्था : ______________________
ब) यदि हां, तो तालाब/जलाशय का क्षेत्रफल
(ल0xचौ0xगह0)

20.अ) क्या कोई क्षेत्र जलाशय उपलब्ध है? : ______________________
ब) यदि हां तो उसका क्षेत्रफल(ल0xचौ0xगह0) : ______________________

21. यदि जल स्रोत नहीं है तो : ______________________

अ) अन्य श्रोतों से फसल उपलब्धता हेतु अनुबन्ध पत्र : ______________________

ब) बिजली की उपलब्धता (घण्टे में) : ______________________

स) बिजली उपलब्धता का समय : ______________________

द) पम्प की क्षमता (हार्स पावर) : ______________________

य) डीजल इंजन की क्षमता (हार्स पावर) : ______________________

22. प्रक्षेत्र/खेत का आकार जिसके लिए
अनुदान वांछित है : ______________________

23. मृदा प्रकार (समस्याग्रस्त/अच्छी)
प्रति संलग्न : ______________________

24. उस प्रक्षेत्र का जल स्तर जहां पद्धति की
स्थापना की जानी है : ______________________

दिनांक

लाभार्थी का हस्ताक्षर

लाभार्थी का नाम

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र

1. ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापन करने वाली निर्माता फर्म द्वारा तैयार किया गया ले आउट/मानचित्र।
2. लाभार्थी द्वारा इस आशय का प्रमााण पत्र कि उसके द्वारा भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत ड्रिप/स्प्रिंकलर स्थापना हेतु कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है।
3. लाभार्थी के पास स्वयं के जल स्रोत न होने की स्थिति में पड़ोसी लाभार्थी से पानी प्राप्त करने हेतु समझौता/सहमति प्रपत्र।
4. मृदा/जल परीक्षण रिपोर्ट।
5. सिस्टम की स्थापना के 5 वर्ष के अन्दर उसे बेचने/दान करने अथवा किराये पर न देने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।
6. स्थापित किये गये सिस्टम का निरीक्षण आगामी 5 वर्ष तक विभागीय अथवा नामित अधिकारियों द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र।
7. चयनित प्रक्षेत्र/भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी भू-अभिलेख।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश

नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरीगेशन (एनएमएमआई) के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश

केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए भारत सरकार के पत्र सं0 11-1/2009-हार्ट0 II दिनांक 01-07-2010 द्वारा नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरीगेशन (एनएमएमआई) के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2010-11 से यह योजना प्रदेश में मिशन मोड के रूप में लागू है जिसके अधीन भारत सरकार के पत्र सं0 11-01/2011-हार्ट0 दिनांक 24-05-2011 द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए केन्द्रांश के रूप में ₹ 10.00 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसमें राज्यांश की धनराशि 20 प्रतिशत सम्मिलित करते हुए ₹ 12.50 करोड़ की कार्य योजना तैयार की गई है। योजना के अधीन लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत (50 प्रतिशत केन्द्रांश : 10 प्रतिशत राज्यांश) एवं सामान्य कृषकों को 50 प्रतिशत (40 प्रतिशत केन्द्रांश : 10 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की स्थापना की जानी है।

योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु दिनांक 22.04.2011 को कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अध्यक्ष, स्टेट माइक्रोइरीगेशन कमेटी, उ.प्र. की सम्पन्नित चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में योजना कार्यान्वयन हेतु निम्नवत दिशा-निर्देश प्रेषित है :-

1) मुख्य घटक : (अ) टपक (ड्रिप) सिंचाई (ब) स्प्रिंकलर सिंचाई (स) प्रदर्शन।

2) कार्य क्षेत्र : **"शासनादेश सं0 1697/58-2011-60/2006 दिनांक 06.06.2011 के अनुसार प्रथम चरण के चिन्हित 13 जनपदों यथा- बहराईच, बाराबंकी, इलाहाबाद, कौशाम्बी, आगरा, सोनभद्र तथा बुन्देलखण्ड के समस्त जनपद- झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट के अतिरिक्त महाराजगंज, महामाया नगर, रामपुर, वाराणसी जनपद में योजना को संहत रूप में लागू करते हुए अन्य उपयुक्त जनपदों, जहां से मांग प्राप्त हो, की आवश्यकता का परीक्षण कर वार्षिक कार्य योजना में निर्धारित वित्तीय सीमा के अधीन कार्य कराने की अनुमति एस.एम.आई.सी. की चतुर्थ बैठक दिनांक 22.06.2011 में प्रदान की गई है।"**

प्रस्तावित लक्ष्य 2011-12 : भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष प्रदेश के लिए निम्नानुसार ड्रिप, स्प्रिंकलर एवं प्रदर्शन के सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। शासनादेश सं0 1697/58-2011-60 दिनांक 06.06.2011 के प्रस्तर-2(1) **(छायाप्रति संलग्न)** एवं दिनांक 22.06.2011 को सम्पन्नित एस.एम.आई.सी. की चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार "जनपद स्तर पर ड्रिप इरीगेशन व स्प्रिंकलर इरीगेशन के मध्य लक्ष्यों में परिवर्तन के लिए जिला माइक्रोइरीगेशन कमेटी को अधिकृत किया गया है। कम्पोनेन्टवार वार्षिक कार्य योजना का विवरण निम्नवत है। जनपदवार लक्ष्य निदेशालय के पत्र सं0 3328 दिनांक 07.07.2011 द्वारा सर्व सम्बन्धित जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारियों को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

कम्पोनेन्ट	अनुमानित लाभार्थी सं0	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे0)	कुल अनुमानित लागत	वित्तीय विवरण (लाख ₹)		
				केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1. ड्रिप सिंचाई	1122	1122	658.91	305.73	76.43	382.17
2. स्प्रिंकलर	5882	5882	1378.79	639.76	159.94	799.70
3. प्रदर्शन	272	136	55.75	44.60	11.15	55.75
योग	**7276**	**7140**	**2093.45**	**990.09**	**247.52**	**1237.62**
प्रशासनिक व्यय @ 1%			12.38	9.90	2.48	12.38
कुल योग			**2105.83**	**999.99**	**250.00**	1250.00
			say	**1000.00**		**1250.00**

उद्देश्य :

- पानी केवल पौधों की जड़ों में देने से पानी की निश्चित बचत।
- पानी देने के लिए मेड़ व नालियाँ बनाने की आवश्यकता नहीं।
- पैदावार तथा फसल की गुणवत्ता में अत्यधिक वृद्धि।
- केवल जड़ों में पानी देने से खरपतवार पर प्रभावी नियंत्रण।
- पौधों की जड़ों में सिंचाई के साथ ही उर्वरक एवं कीटनाशी के प्रयोग से रसायन की बचत।
- ड्रिप सिंचाई पद्धति से लवणीय भूमि में भी बागवानी सम्भव।
- ऊँची-नीची (ऊबड़-खाबड़) जमीन में पौधों की सिंचाई भलीभांति सम्भव।
- बीमारी एवं कीड़े-मकौड़ों की समस्या पर नियंत्रण।
- सिंचाई करते समय कृषक द्वारा कोई अन्य कार्य भी साथ में किया जा सकता है जिससे समय की भी बचत।

2) चिन्हित फसल :

(अ) **ड्रिप सिंचाई :**

i. **फल उद्यान** : आम, अमरूद, आंवला, नींबू/बेर/बेल एवं केला के स्थापित बागों अथवा नवीन रोपित उद्यानों को आच्छादित किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई पद्धति के अधिकतम 5 वर्ष तक के रोपित बागों में स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जाये। इससे पुराने बागों में माइक्रो-जेट स्प्रिंकलर स्थापित कराना लाभकर होगा।

ii. **सब्जियाँ** : टमाटर, बैंगन, भिण्डी, मिर्च, शिमला मिर्च, गोभीवर्गीय, कद्दूवर्गीय अन्य सभी सब्जियाँ आदि।

iii. **अलंकृत एवं औषधीय-संगध पौध** : रजनीगंधा, ग्लैडियोलस, औषधीय एवं सगन्ध पौधे तथा अन्य क्लोज स्पेसिंग क्राप्स।

iv. **आलू**

(ब) स्प्रिंकलर सिंचाई : स्प्रिंकलर सिंचाई की स्थापना मुख्य रूप से मटर, आलू एवं अन्य व्यवसायिक पत्तेदार सब्जियों की फसलों में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित की जायेगी।

(स) प्रदर्शन : योजना को अधिक ग्राह्य बनाये जाने हेतु लाभार्थियों के व्यक्तिगत प्रक्षेत्रों अथवा उपयुक्त राजकीय प्रक्षेत्रों/कृषि विज्ञान केन्द्र पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के प्रदर्शन अमरूद, आंवला, आम, नींबू/बेर/बेल एवं केला के उद्यानों तथा मटर एवं पत्तेदार सब्जियों पर प्रदर्शन कार्य सम्पादित कराये जायें ताकि आस-पास के कृषक उनके प्रयोग को देखकर उत्साहित हों और नवीन सिंचाई पद्धति को अपने प्रक्षेत्र पर अपना सकें।

3) योजना के लाभार्थी एवं मात्राकरण : इस योजना का लाभ सभी वर्ग के औषकों को देय होगा जिसमें न्यूनतम 25 प्रतिशत लाभार्थी लघु एवं सीमांत कोटि के होगें ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों तक इसका लाभ पहुँचाया जा सके। भारत सरकार के पत्र संख्या-11-1/ 2006-हार्ट. दिनांक 27-04-2006 के अनुसार उपलब्ध करायी गयी **''धनराशि का मात्राकरण''** निम्नांकित अनुपात में क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी :-

अनुसूचित जाति (एस0सी0पी0)	:	16 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति (टी0एस0पी0)	:	8 प्रतिशत
महिला लाभार्थी	:	30 प्रतिशत

4) अनुदान पैटर्न : भारत सरकार के पत्र सं0 11-1/2009-हार्ट0 II दिनांक 14-09-2010 के अनुसार इस योजना का लाभ एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हैक्टर क्षेत्र के लिए अनुमन्य होगा ताकि माइक्रोइरीगेशन सिस्टम को अधिक व्यवसायिक बनाया जा सके। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई की स्थापना हेतु निर्धारित इकाई लागत का कुल 60% राज सहायता लघु सीमान्त कोटि के कृषकों को तथा 50% राज सहायता सामान्य कोटि के कृषकों को अनुमन्य होगा जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा क्रमशः 50% एवं 40% तथा राज्य सरकार द्वारा 10% अंशदान के रूप में वहन किया जायेगा। अनुदान के अतिरिक्त शेष धनराशि कृषक द्वारा स्वयं निजी श्रोतों से अथवा बैंकों से ऋण प्राप्त कर वहन किया जायेगा। फसलवार इकाई लागत, राज सहायता/अनुदान एवं कृषक अंश का विवरण निम्नवत् है :

सांकेतिक इकाई लागत, अनुदान एवं लाभार्थी अंश

कम्पोनेन्ट/फसल	दूरी	इकाई लागत प्रति है0 (रू0में)	अनुदान (प्रति हैक्टेयर)		कृषक अंश/बैंक ऋण (प्रति हैक्टेयर)	
			लघु सीमान्त कृषक @ 60%	सामान्य कृषक @ 50%	लघु सीमान्त कृषक @ 40%	सामान्य कृषक @ 50%
1) ड्रिप						
आम, आंवला आदि	10X10M	23047	13828	11524	9219	11523
अमरूद, नींबू/बेर/बेल	6X6M	30534	18320	15267	12214	15267
केला	1.5X1.5M	85603	51362	42801	34241	42802
आलू	1.2X0.6M	112238	67343	56119	44895	56119
2) स्प्रिंकलर						
मटर, आलू एवं पत्तेदार सब्जियाँ/ पौधे	..	21901	13140	10950	8761	20806
3) प्रदर्शन (ड्रिप/स्प्रिंकलर) : प्रदर्शन हेतु अधिकतम 0.5 हे0 क्षेत्रफल के लिए अनुदान की धनराशि 75% केन्द्रांश के रूप में तथा शेष 25% धनराशि राज्यांश के रूप में वहन करना होगा। यह सुविधा राज्य/केन्द्र सरकार/रा0कृ0वि0वि0/कृषि विज्ञान केन्द्र/प्रतिष्ठित एन0जी0ओ0/ट्रस्ट के स्वयं की भूमि/भा0कृ0अ0प0 संस्थान अथवा बागवानी फसल उगाने वाले प्रगतिशील किसान को अनुमन्य होगी।						
फसल	**दूरी**	**इकाई लागत/हे0**	**केन्द्रांश के रूप में (75 प्रति0)**		**राज्यांश के रूप में (25 प्रति0)**	
आम, आंवला आदि	10X10M	23047	17285	17285	5762	5762
अमरूद, नींबू/बेर/बेल	6X6M	30534	22901	22901	7634	7634
केला	1.5X1.5M	85603	64202	64202	21401	21401
आलू	1.2X0.6M	112238	84179	84179	28060	28060
स्प्रिंकलर- मटर, आलू एवं पत्तेदार सब्जियाँ/ पौधे		21901	16426	16426	5475	5475

भारत सरकार द्वारा पौध से पौध की दूरी के अनुसार विभिन्न क्षेत्रफल के लिए अनुदान की सीमा निर्धारित की गई है, जो निम्नवत् है। योजना कार्यान्वयन के समय फसल की स्पेसिंग के अनुसार अधिकतम अनुदान की सीमा का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है-

तालिका-1 *(धनराशि रूपये में)*

ड्रिप सिंचाई पद्धति की स्थापना हेतु सांकेतिक इकाई लागत

क्षेत्रफल	क्षेत्रफलवार लागत						
दूरी (मी0)	**0.2 ha**	**0.4 ha.**	**1 ha.**	**2 ha.**	**3 ha.**	**4 ha.**	**5 ha.**
12x12	9266	15853	21643	34417	53437	66480	84653
10x10	9554	16419	23047	37171	57647	72205	91806
9x9	9764	16826	24035	39145	60610	76238	96852
8x8	9974	17351	25332	41650	64500	81527	103459
6x6	10916	19096	30534	51045	82472	100016	125498
5x5	11570	20674	34664	59154	85484	108635	145964
4x4	12854	21414	36562	64084	99965	130884	155778
3X3	13901	23055	42034	72759	112065	140936	176457
2.5x2.5	17180	31156	60065	109345	167011	234396	286297
2x2	21067	36358	73138	141957	206232	286504	351667
1.5x1.5	24741	41369	85603	163137	243633	336484	414002
2.5x0.6	17782	30810	63145	116042	177345	246276	302318
1.8x0.6	21628	37845	80599	152551	229637	312784	389511
1.2x0.6	27672	50388	112238	213400	323019	435788	545181

स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की स्थापना हेतु सांकेतिक इकाई लागत

स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का व्यवसायिक उपयोग औद्यानिक फसलों में बढ़ाये जाने के उद्देश्य से पोर्टेबुल/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वॉल्यूम स्प्रिंकलर पद्धति (रेनगन) की सुविधा योजनान्तर्गत अनुमन्य होगी जिसके चयन हेतु कृषक स्वतंत्र होंगे।

अ) पोर्टेबुल स्प्रिंकलर पद्धति

क्षेत्रफल	**63 mm**	**75 mm**	**90 mm**
Up to 0.4 ha.	11959	NA	0
More than 0.4 ha - 1 ha	19542	21901	0
More than 1.0 ha - 2 ha	28213	31372	0
More than 2.0 ha. - 3 ha.	NA	NA	42345
More than 3.0 ha. - 4 ha.	NA	NA	53404
More than 4.0 ha - 5 ha	NA	NA	60459

ब) सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर पद्धति

क्षेत्रफल	लागत (रू0 में)
Up to 0.4 ha.	22557
More than 0.4 ha - 1 ha	36607
More than 1.0 ha - 2 ha	69804
More than 2.0 ha. - 3 ha.	94218
More than 3.0 ha. - 4 ha.	120392
More than 4.0 ha - 5 ha	146053

स) लार्ज वॉल्यूम स्प्रिंकलर पद्धति (रेनगन)

क्षेत्रफल	63 mm	75 mm	90 mm
More than 0.4 ha - 1 ha	28681	34513	NA
More than 1.0 ha - 2 ha	NA	43786	NA
More than 2.0 ha. - 3 ha.	NA	NA	62229
More than 3.0 ha. - 4 ha.	NA	NA	72128
More than 4.0 ha - 5 ha	NA	NA	79210

संयुक्त सचिव, बागवानी में प्लास्टिकल्चर उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति (एन0सी0पी0ए0एच0) भारत सरकार के पत्र दिनांक 30-11-2010 द्वारा निर्गत आपरेशनल गाइड लाइन 2010 के पृष्ठ सं0 12 के प्रस्तर 14.2 के अनुसार उ0प्र0 बी श्रेणी का राज्य होने के कारण निर्धारित इकाई लागत में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर उपरोक्तानुसार इकाई क्षेत्र के लिए निर्धारण किया गया है। तद्नुसार ही कृषकों को अनुमन्य अनुदान की धनराशि सुलभ होगी।

5) निर्धारित कार्यक्रम : प्रदेश में औद्यानिक फसलों में माइक्रोइरीगेशन सिस्टम को बढ़ावा देने हेतु आम, अमरूद, लीची, आंवला, नींबू वर्गीय फल/बेर/बेल, केला, शाकभाजी फसलों यथा-टमाटर, आलू, बैंगन, भिण्डी, मिर्च, गोभीवर्गीय सब्जियाँ, कद्दूवर्गीय सब्जियाँ, पुष्पीय पौधे जैसे-रजनीगंधा, ग्लैडियोलस, औषधीय एवं सगंध फसलों, अन्य उपयुक्त क्लोज स्पेसिंग क्राप्स में उपुर्यक्त निर्धारित स्पेसिंग्स के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति को कृषक प्रक्षेत्रों पर स्थापित कराया जाना है। साथ ही औद्यानिक फसलों यथा-मटर, आलू एवं अन्य पत्तेदार फसलों में स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की स्थापना निम्न विवरण के अनुसार किये जायेंगे।

अ) ड्रिप सिंचाई :

i) आम, आंवला एवं लीची :

राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन अथवा अन्य कार्यक्रमों में स्थापित नवीन उद्यानों को एनएमएमआई से सम्बद्ध करते हुए प्राथमिकता पर ड्रिप सिंचाई पद्धति को स्थापित किया जाय जिसके लिए औसतन 10X10 मीटर पौधे से पौधे की दूरी निर्धारित है। पुराने स्थापित बागों में भी इसकी स्थापना सम्भव है। हाई डेन्सिटी प्लान्टेशन में भी स्पेसिंग के अनुसार ड्रिप स्थापना की कार्यवाही आवश्यकतानुसार कराई जाये। इस निमित्त इकाई लागत के सापेक्ष **लघु सीमान्त एवं सामान्य कृषकों को क्रमशः 60% एवं 50% की दर से** तालिका-1 के अनुसार अनुदान अनुमन्य होगा। शेष धनराशि कृषकों द्वारा स्वयं अथवा बैंक से ऋण प्राप्त करके वहन किया जायेगा।

ii) अमरूद एवं नींबू वर्गीय/बेर/बेल :

राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन अथवा अन्य कार्यक्रमों में स्थापित नवीन उद्यानों को एनएमएमआई से सम्बद्ध करते हुए प्राथमिकता पर ड्रिप सिंचाई पद्धति को विकसित किया जाये जिसके लिए औसतन 6X6 मीटर पौधे से पौधे की दूरी निर्धारित है। 5 वर्ष तक के रोपित पुराने बागों को भी चयनित किया जा सकता है। सघन बागवानी के रूप में स्थापित अमरूद तथा नींबू वर्गीय फलों में भी पद्धति स्थापित किया जा सकता है। अमरूद एवं नींबू वर्गीय उद्यानों में ड्रिप सिंचाई पद्धति की स्थापना पर लागत के सापेक्ष **लघु सीमान्त एवं सामान्य कृषकों को अधिकतम क्रमशः 60% एवं 50% की दर से** राज सहायता तालिका-1 के अनुसार अनुमन्य होगी। शेष धनराशि कृषकों को स्वयं अथवा बैंकों से ऋण प्राप्त कर वहन करनी होगी।

iii) केला :

प्रदेश के चिन्हित उपयुक्त जनपदों में केला क्षेत्र विस्तार के कार्यक्रम औद्यानिक मिशन एवं अन्य कार्यक्रमों में लिये जा रहे हैं, जिनकी गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं सुनिश्चित/आवश्यकता परक सिंचाई व्यवस्था हेतु ड्रिप सिंचाई पद्धति की स्थापना बहुपयोगी होगी। औसतन 1.5X1.5 मीटर की दूरी आंगणित करते हुए प्राविधान किया गया है

जो प्रजाति एवं भू-जलवायु के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। पद्धति की स्थापना हेतु तालिका-1 के अनुसार इकाई लागत के सापेक्ष अधिकतम **लघु सीमान्त एवं सामान्य कृषकों को अधिकतम क्रमशः 60% एवं 50% की दर से** अनुदान अनुमन्य होगा तथा शेष धनराशि कृषकों द्वारा स्वयं अथवा बैंकों से ऋण प्राप्त कर वहन करना होगा।

iv) क्लोज स्पेसिंग क्राप्स :

इस कोटि में नजदीकी रोपण दूरी वाले शाकभाजी, मसाला, अलंऔत/शोभाकार एवं औषधीय पौधे सम्मिलित हो सकते हैं, जो भू-जलवायु, क्षेत्र एवं किसानों की मांग के अनुसार स्थापित किये जायेंगे। इस श्रेणी में उदाहरण के तौर पर टमाटर, आलू, बैंगन, भिण्डी, मिर्च, शिमला मिर्च, गोभीवर्गीय सब्जियां, कद्दूवर्गीय सब्जियां, रजनीगंधा, ग्लैडियोलस, अथवा अन्य पौधे सम्मिलित हो सकते हैं जिनके गुणवत्तायुक्त एवं सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था हेतु ड्रिप सिंचाई पद्धति स्थापित करने की आवश्यकता है। उक्त फसलों के लिए औसतन 0.4 है0 का इकाई क्षेत्र उपयुक्त हो सकता है एवं **तालिका-1 के अनुसार निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष लघु सीमान्त एवं सामान्य कृषकों को अधिकतम क्रमशः 60% एवं 50% की दर से** अनुदान अनुमन्य होगा। शेष धनराशि कृषकों द्वारा स्वयं के श्रोत से अथवा बैंकों से ऋण प्राप्त कर वहन करना होगा।

ब) स्प्रिंकलर सिंचाई :

इस पद्धति का चिन्हांकन विशेष रूप से मटर, आलू एवं अन्य पत्तेदार सब्जियों के लिए योजना में किया गया है जिन्हें बढ़ावा देकर औद्यानिक फसलों के मानक के अनुसार सिंचाई आवश्यकताओं को पूर्ण कर गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इस पद्धति की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा **तालिका-1 के अनुसार निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष लघु सीमान्त एवं सामान्य कृषकों को अधिकतम क्रमशः 60% एवं 50% की दर से** अनुदान अनुमन्य होगा। स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का व्यवसायिक उपयोग औद्यानिक फसलों में बढ़ाये जाने के उद्देश्य से पोर्टेबुल/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वॉल्यूम स्प्रिंकलर पद्धति (रेनगन) की सुविधा योजनान्तर्गत अनुमन्य होगी जिसके चयन हेतु कृषक स्वतंत्र होंगे।

स) ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रदर्शन :

बागवानी में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्धति से परिलक्षित लाभ के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से यह कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है जिसमें प्रदर्शन स्थल का चयन एक महत्वपूर्ण पहलू होगा जिसे पारदर्शिता के साथ अधिकाधिक उपयोगी प्रक्षेत्रों को ही सम्मिलित किया जाये ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी इन्हें देखकर अंगीकार कर सकें। ऐसे प्रक्षेत्र जो **राज्य/केन्द्र सरकार/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि विज्ञान केन्द्र/प्रतिष्ठित एन0जी0ओ0/ट्रस्ट के स्वयं की भूमि/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों तथा बागवानी फसल उगाने वाले प्रगतिशील किसानों से सम्बन्धित होंगे।** प्रदर्शन हेतु इकाई क्षेत्रफल अधिकतम 0.5 हे0 के लिए होगा। प्रदर्शन को अधिकतम किसानों के लाभ के लिए सड़क के किनारे वाले स्थानों पर किया जायेगा।

ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रदर्शन के लिए अनुदान की अधिकतम धनराशि 75 प्रतिशत की दर से तालिका-1 में दर्शाये गये इकाई लागत के सापेक्ष प्रति इकाई अनुमन्य किया जायेगा।

6) निर्माता फर्मों का पंजीकरण -

i. भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 1697/58-2011-60 दिनांक 06.06.2011 एवं दिनांक 22.06.2011 को सम्पन्नित एस.एम.आई.सी. की चतुर्थ बैठक में निम्नांकित निर्माता फर्मो का पंजीकरण/नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिए किया गया है जो नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरीगेशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्धति की स्थापना हेतु अधिकृत होंगे। बशर्ते उन्हें सक्षम स्तर से ब्लैकलिस्ट न किया गया हो अथवा इनकी मैन्यूफैक्चरिंग बन्द न हो गई हो। प्रश्नगत योजनान्तर्गत नई फर्मों का पंजीकरण करने हेतु एक विज्ञापन पृथक से प्रकाशित करने हेतु आवेदन पत्र मांगे जायें जिसमें उक्त विज्ञापन के सापेक्ष क्रमांक 1-6 तक उल्लिखित फर्में आगे के वर्षों के लिए कार्य करने हेतु पुनः आवेदन कर सकती हैं। फर्मों

से आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद नेशनल मिशन ऑन माइक्रोइरीगेशन आपरेशनल गाइडलाइन्स में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये गये फर्मों का नए सिरे से पंजीकरण करने हेतु शासन को उपलब्ध कराया जाये। पंजीकृत/नवीनीकृत फर्में निम्नवत हैं -

पंजीकृत/नवीनीकृत फर्में	वैद्यता अवधि
1. मे0 जैन इरीगेशन सिस्टम लि0, जैन प्लास्टिक पार्क, एन0एच0-6, बम्भौरी, जलगांव महाराष्ट्र-425001 फोन : 0257-2258011 फैक्स : 0257-2258111 email : jisl@jains.com	2011-12
2. मे0 नेटाफिम इरीगेशन इण्डिया प्रा0 लि0, 301, नवजीवन काम्लेक्स, 29 स्टेशन रोड, जयपुर-302006 फोन : 033-24795155, 24795313 फैक्स : 033-24797455, 24799530 email : pnq@premierworld.com	2011-12
3. मे0 फिनोलेक्स प्लासन इण्डस्ट्रीज इण्डिया लि0, चतुर्थ तल, पी0-14, राजीव गांधी, इन्फोटेक पार्क, फेस-ए एम0आई0डी0सी0, पूणे-411057 फोन : 02114-237045 फैक्स : 02114-237044 email : plasindia@ppiil.com	2011-12
4. मे0 प्रीमियर इरीगेशन इक्यूपमेन्ट्स लि0, 17/1, सी0 अलीपार रोड, कोलकाता। फोन : 033-40121111, फैक्स : 033-40121155 email : sales@pial.in	2011-12
5. मे0 स्वाती स्टोरवेल प्रा0 लि0, 44-45, इण्डस्ट्रियल एरिया, सेक्टर-आई, पर्वानू, जनपद-सोलन, हिमाचल प्रदेश-173220 फोन : 01792-232570, 232863 फैक्स : 01792-232770	2011-12
6. मे0 रूंगटा इरीगेशन लि0, 101, प्रगति टावर, 26 राजेन्द्र पैलेस, नई दिल्ली। फोन : 011-45090900, 32905291 फैक्स : 011-45090931 email : rungtarungta2007@rediffmail.com	2011-12
7. मे0 राजस्थान इन्जीनियर्स एण्ड कान्ट्रेक्टर इन्टरप्राइजेज, सीकर राजस्थान। फोन : 01572-245269, 246206 फैक्स : 01572-245269	2011-12 एवं 2012-13
8. मे0 हार्वेल एग्यूबा इण्डिया प्रा0 लि0, नेहरू पैलेस, नई दिल्ली। फोन : 011-26485365, 26413370 फैक्स : 011-26464819 email : azud.india@azud.com	2011-12 एवं 2012-13
9. मे0 परीक्षित इण्डस्ट्रीज लि0, विकास नगर, लखनऊ। फोन : 079-66318121 (हेड ऑफिस) फैक्स : 079-66318125 (हेड ऑफिस)	2011-12 एवं 2012-13
10. मे0 नार्गाजुन फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स लि0, हैदराबाद। फोन : 040-27150141, 27150142 फैक्स : 040-27150140 email : admin@nagarjunapalma.com	2011-12 एवं 2012-13

उक्त के अतिरिक्त एस.एम.आई.सी की चतुर्थ बैठक में मे0 पायनियर प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज लि0, नई दिल्ली के विचाराधीन पंजीकरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसका पंजीकरण आदेश शासन स्तर से अलग से निर्गत किया जायेगा।

8) चिन्हित संहत जनपदों के अतिरिक्त अन्य जनपदों में अप्रयुक्त अवशेष धनराशि का पुर्नग्रहण एवं पुर्नवितरण :

एस.एम.आई.सी. की चर्तुथ बैठक के एजेण्डा प्रस्ताव-6 (3) के अनुसार चिन्हित जनपदों के अतिरिक्त अन्य जनपदों में अप्रयुक्त अवशेष धनराशि को पुर्नग्रहित कर आवश्यकतानुसार जनपदों को हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तद्क्रम में सम्बन्धित जिला माइक्रोइरीगेशन कमेटी से यह अपेक्षित होगा कि जनपद में गत वर्षों से अप्रयुक्त अवशेष धनराशि मुख्यालय को वापस किया जाये और उस धनराशि का उपयोग चिन्हित जनपदों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जाये ताकि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि का यथाशीघ्र योजना

हित में उपयोग में लाई जा सके। धनराशि वापस करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि जनपद में कराये गये कार्यों के सापेक्ष दायित्व लम्बित न रह जाये।

9) वित्तीय सहायता का प्रारूप :

भारत सरकार के परिचालन मार्ग-निर्देशिका 2010 के प्रस्तर-6 के अनुसार योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता का प्रारूप निम्नवत होगा-

- लघु सीमान्त कृषकों के लिए 50:10:40 के अनुपात में क्रमशः केन्द्रांश, राज्यांश एवं लाभार्थी अंश होगा। इस प्रकार लघु सीमान्त कृषकों को ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की लागत में 40 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जायेगा और शेष 40 प्रतिशत अंशदान सम्बन्धित कृषक द्वारा वहन किया जायेगा। सामान्य श्रेणी के कृषकों को 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहातया दी जायेगी जिसमें सहायता राशि 40:10:50 के अनुपात में क्रमशः केन्द्रांश, राज्यांश एवं लाभार्थी अंश होगा।
- वित्तीय सहायता को प्रति लाभार्थी 5 हे0 तक सीमित रखा जायेगा। जिन लाभार्थियों ने अनुदान का लाभ पहले ही ले लिया है को 10 वर्ष की अवधि के बाद अतिरिक्त क्षेत्र के लिए, 5 हे0 की अधिकतम सीमा की शर्त पर अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- लाभार्थी का स्वामित्व क्षेत्र ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली के दायरे में होनी चाहिए जो एक समीपस्थ क्षेत्र या अलग-अलग स्थानों में स्थित हो सकती है जिसके लिए वित्तीय सहायता अधिकतम 5 हे0 सीमा तक के लिए दी जायेगी।
- सरकारी समिति/स्वयं सहायता समूह/निगमित कम्पनियां/पंचायती राज संस्थान/गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट/ उत्पादक समिति अपने सदस्यों की ओर से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। इन मामलों में एक लाभार्थी को वित्तीय सहायता सिर्फ सम्बन्धित संगठन के माध्यम से प्राप्त होगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी 5 हे0 है।
- इस योजना में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए वह लाभार्थी संस्थान भी पात्र होंगे जिन्होंने कान्ट्रेक्ट फार्मिंग या पट्टे (लीज) पर जमीन ली है जिसकी पुष्टि में लाभार्थी/संस्थान को लीज करार की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जो आवेदन की अनुमोदन की तिथि से कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए।
- प्रदर्शन हेतु अधिकतम सीमा क्षेत्र 0.5 हे0 प्रति लाभार्थी है जिनके कुल लागत का 75 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी। शेष 25 प्रतिशत धनराशि राज्य अंश के रूप में वहन किया जायेगा।
- एम.आई. प्रदर्शन किसानों के खेतों में तथा राज्य/केन्द्र सरकार, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, आई.सी.ए.आर. संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्ट से सम्बन्धित फार्मों पर आयोजित किये जायेंगे।

10) लाभार्थी चयन एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया :

डिस्ट्रिक्ट माइक्रो इरीगेशन कमेटी (DMIC) लाभार्थियों के चयन में निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनायेगी :-

अ) कार्यदायी संस्था द्वारा -

i. लाभार्थी योजना कार्यान्वयन के लिए इच्छुक एवं उत्साही हो और उसके पास अथवा साझे में पानी का श्रोत उपलब्ध हो।

ii. लाभार्थी कृषक अनुदान के अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वयं के श्रोत से अथवा ऋण प्राप्त कर वहन करने हेतु सहमत हो।

iii. योजना का प्रचार-प्रसार विकासखण्ड एवं गांव स्तर तक उपलब्ध संसाधनों से सुनिश्चित किया जाये।

iv. जनपद स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित कराकर योजना का लाभ उठाने के लिए सर्वसाधारण को जागरूक करते हुए अभिप्रेरित किया जायेगा।

v. निर्धारित प्रारूप पर लाभार्थी से आवेदन पत्र **(संलग्नक-1)** प्राप्त किये जायेंगे जिसके साथ अनिवार्य रूप से चिन्हित भू-खण्ड का भू अभिलेख (खसरा खतौनी आदि) प्राप्त करने होंगे।

vi. जनपद स्तर पर एक तकनीकी दक्ष एवं अनुभवी कर्मी को योजना कार्यान्वयन हेतु नामित किया जाये जिसकी प्रति प्रदेश मुख्यालय को भी सुलभ करायी जायेगी।

vii. आवेदन पत्र के साथ स्टेट माइक्रोइरीगेशन कमेटी (SMIC) द्वारा अनुमोदित एवं सभी पंजीकृत निर्माता फर्मो की सूची एवं दर कृषकों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाये।

viii. जनपद स्तर पर गोष्ठियाँ/सेमीनार आयोजित किये जायें। मिशन अथवा अन्य विभागीय गोष्ठियों/सेमीनार में माइक्रो इरीगेशन योजना का प्रसार किया जाये।

ix. कृषकों के प्राप्त प्रार्थनापत्रों को संकलित कर **''एनएनएमआई पंजिका''** में **''प्रथम आवक प्रथम पावक''** के आधार पर अंकित किये जायें और लाभार्थी को प्राप्ति एवं क्रमांक उपलब्ध कराये जायें। माह के अन्त तक प्राप्त आवेदनों की सूची, तिथि, नाम/पता, ड्रिप/स्प्रिंकलर, फसल एवं क्षेत्रफल का विवरण ड्रिप अनुभाग निदेशालय को प्रस्तुत किये जायें। प्रार्थना पत्रों का परीक्षण कर स्वीकार्य योग्य होने पर सम्बन्धित फर्म के स्थानीय कार्यालय को अग्रसारित किये जायें। एनएनएमआई पंजिका का प्रारूप निम्नवत् होगा -

एनएनएमआई पंजिका प्रारूप

क्र0 सं0	दिनांक	आवेदक का नाम व पता	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे0)	फसल	सिस्टम ड्रिप/ स्प्रिंकलर
1	2	3	4	5	6

स्वीकृति का विवरण		भुगतान का विवरण			
दिनांक	धनराशि	दिनांक	इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर/ चेक सं0	धनराशि	कार्यदायी फर्म का नाम
7	8	9	10	11	12

x. पंजीकृत फर्म द्वारा आंगणन प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र लेकर साइट का निरीक्षण **(संलग्नक-2)** कराते हुए जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा प्राप्त आंगणन का परीक्षण एवं सत्यापन कार्य सम्पन्न किया जायेगा। साइट का निरीक्षण न्यूनतम सहायक उद्यान निरीक्षक अथवा क्षेत्रीय सलाहकार (संविदा) स्तर से किया जाये तथा **(संलग्नक-3)** के प्रारूप पर अनुदान की गणना रिपार्ट प्रस्तुत की जायेगी। प्राप्त आंगणन एवं सत्यापन के अनुसार **(संलग्नक-4)** निर्धारित प्रारूप पर कार्य का अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की जायेगी जिसकी प्रति लाभार्थी तथा चिन्हित फर्म को दिये जायेंगे।

xi. बैंक ऋण हेतु इच्छुक लाभार्थी कृषक को प्रोत्साहित करते हुए उनके आवेदन पत्र बैंकों को समयान्तर्गत अग्रसारित कर स्वीकृति प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाये। बैंक ऋण प्राप्त करने वाले इच्छुक कृषक फर्म से कोटेशन प्राप्त कर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के साथ सम्बन्धित बैंक को अपने आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

xii. कृषक अंश का भुगतान लाभार्थी द्वारा पद्धति स्थापित करने वाले फर्म को सीधे की जा सकेगी और फर्म उस धनराशि की प्राप्ति रसीद कृषक को उपलब्ध करायेगा।

xiii. **भुगतान प्रक्रिया** - ड्रिप/स्प्रिंकलर पद्धति के सफलतापूर्ण स्थापना एवं विभागीय तकनीकी सत्यापन में गुणवत्ता एवं मात्रात्मक दृष्टि से संतुष्टि के उपरान्त **"इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर/एकाउण्टपेई चेक द्वारा"** निर्माता फर्म अथवा फर्म द्वारा अधिकृत डीलर को लाभार्थी/किसान की संतुष्टि-पत्र लेकर सिस्टम स्थापना की संतोषजनक रिपोर्ट प्रारूप (**संलग्नक-5**) के आधार पर भुगतान सिस्टम के सफल कार्य करने की दशा में किया जायेगा तथा भुगतान से पूर्व आपूर्तित सिस्टम कम्पोनेन्टस के बी0आई0एस0 मानक पूर्ण करने की पुष्टि कर लें।

xiv. सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे कार्यक्रम तथा भुगतान से सम्बन्धित सभी अभिलेख सम्प्रेक्षण एवं निरीक्षण हेतु कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे।

ब) निर्माता फर्म द्वारा -

i. चयनित फसल के जल आवश्यकता का आंकलन करना एवं तदनुसार आंगणन तैयार कर सम्बन्धित जिला स्तरीय उद्यान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जिसके आधार पर कार्य का अनुमोदन/स्वीकृति की सूचना सम्बन्धित फर्म को दी जायेगी। फर्म द्वारा किसान प्रक्षेत्र पर सामग्री आपूर्ति की तिथि आदि निश्चित करना होगा।

ii. फर्म द्वारा योजना लाभार्थियों को यथाआवश्यकता बैंक ऋण की स्वीकृति भी आवेदन पत्र भरने, बैंक स्तर पर स्वीकृति के प्रयास करने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।

iii. चिन्हित फर्म द्वारा लाभार्थी के संतुष्टि पर केवल उत्तम गुणवत्ता के बी0आई0एस0 मानकों को पूर्ण करने वाले कम्पोनेन्टस स्थापित किये जायें।

iv. लाभार्थी कृषक को ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम के संचालन हेतु पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कराया जायेगा और एग्रोनामिक प्रैक्टिसेज से अवगत कराया जायेगा।

v. निर्धारित वारंटी सुनिश्चित करते हुए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम के रनिंग एवं रख रखाव के मैनुअल उपलब्ध कराया जायेगा।

vi. पंजीकृत फर्म इंगित क्षेत्रों में अपने कार्यालय से अथवा सर्विस सेन्टर्स स्थापित करेंगे, जिसकी सूचना, नाम, पता एवं दूरभाष संख्या सहित कार्यदायी संस्था को देनी होगी।

vii. फर्म द्वारा न्यूनतम **3 साल की फ्री आफ्टर सेल्स सर्विस** उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।

viii. तकनीकी कारणों से गुणवत्तायुक्त आपूर्ति न होने अथवा सिस्टम में दोष पाये जाने की दशा में फर्म को प्रथम बार चेतावनी दी जायेगी और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति की स्थिति में पंजीकरण समाप्त कर इनके द्वारा बैंक गारन्टी के रूप में जमानत की राशि को जब्त करते हुए माइक्रो इरीगेशन सिस्टम की प्रदेश में आपूर्ति हेतु ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

गुणवत्ता नियंत्रण -

- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की आपूर्ति का महत्वपूर्ण पहलू किसानों को गुणवत्तायुक्त सामग्री (हार्डवेयर) देना काफी महत्वपूर्ण है। निम्न स्तर की प्रणाली की स्थापना का सिंचाई पद्धति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः गुणवत्ता नियंत्रण एवं बी0आई0एस0 मानक पूर्ण करने वाले सामग्रियों की आपूर्ति एवं तद्नुसार पद्धति की स्थापना की जाये ताकि उपयोग की गई पानी एवं उर्वरकों की संतुलित मात्रा पौधों को प्राप्त हो सके, इससे ऊर्जा खपत में वृद्धि होती है। वास्तव में निम्न स्तरीय प्रणाली सिर्फ निष्पादन को ही प्रभावित नहीं करती है। इस प्रकार गुणवत्ता आश्वासन एक प्राथमिक जरूरत है जिसके बारे में किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जा सकता। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निर्माता/आपूर्तिकर्ता फर्म उत्तरदायी होगी एवं पर्यवेक्षण/सत्यापन का कार्य डी0एम0आई0सी0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

- इस योजना के तहत एन0सी0पी0ए0एच0/पी0एफ0डी0सी0, आई0पी0ई0टी0, आई0ए0आई0, बी0आई0एस0 के पदाधिकारियों या इन एजेंसियों/टी0एस0जी0 के कार्मिकों द्वारा गठित निरीक्षण दल द्वारा नियमित निगरानी एक नियमित प्रक्रिया है। इनके द्वारा प्रणाली की स्थापना की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के अन्दर सैम्पुल आधार पर खेत से समय-समय पर नमूने लिये जायेंगे। निरीक्षण के समय प्रणाली पूरी तरह से कार्य करने योग्य होनी चाहिए।

सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत सहायता स्वीकृत करने के लिए चेक लिस्ट

1. निर्माता द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री बेहतर गुणवत्तायुक्त बी0आई0एस0 मानक वाला होना चाहिए। इसके अलावा प्रणाली में लगाई गई सामग्री/कलपुर्जे इनके पंजीकरण के दौरान घोषित मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

2. ड्रिप लेटरल तथा उत्सर्जक का विवरण फसल अंतराल के अनुरूप होना चाहिए जिसमें यह सुनिश्चित हो कि जड़ क्षेत्र गीला हो जायेगा।

3. लेटरल पर प्रथम तथा अन्तिम उत्सर्जक के बीच पानी का अनुप्रयोग समान होना चाहिए (10 प्रतिशत अंतर के अंदर)।

4. ड्रिप प्रणाली की स्थापना और इसका प्रारम्भ किसानों की संतुष्टि के अनुरूप होना चाहिए।

5. किसानों के पास स्थापित प्रणाली के निर्माता की उपभोक्ता मैनुअल (सरल भाषा में लिखी हुई) होनी चाहिए।

- यदि निम्न स्तर तथा घटिया सामग्री की आूपर्ति का पता लगता है तो प्रथम बार के लिए सम्बन्धित निर्माता को चेतावनी दी जाये। यदि इसकी पुनरावृत्ति बार-बार की जाती है तो कंपनी का पंजीकरण रद्द करके सूक्ष्म सिंचाई योजना में ब्लैक लिस्टेड किये जाने के कार्यवाही करते हुए बैंक गारंटी को जब्त (इनवोक) करने की कार्यवाही की जायेगी।

11) ऋण व्यवस्था -

योजनान्तर्गत अनुमन्य राज सहायता/अनुदान के अतिरिक्त शेष धनराशि की व्यवस्था कृषकों द्वारा स्वयं अथवा बैंकों से ऋण प्राप्त कर वहन किया जाना है। फसलवार प्रति है0 कृषक अंश अथवा बैंक ऋण के रूप में वहन की जाने वाली धनराशि निम्नवत है -

कम्पोनेन्ट/फसल	**दूरी**	**इकाई लागत प्रति है0 (रू0में)**	**कृषक अंश/बैंक ऋण (प्रति हैक्टेयर)**	
			लघु सीमान्त कृषक @ 40%	**सामान्य कृषक @ 50%**
आम, आंवला आदि	10X10M	23047	9219	11523
अमरूद, नींबू/बेर/बेल	6X6M	30534	12214	15267
केला	1.5X1.5M	85603	34241	42802
आलू	1.2X0.6M	112238	44895	56119
मटर, आलू एवं पत्तेदार सब्जियाँ/पौधे	..	21901	8761	20806

ऋण व्यवस्था के सम्बन्ध में उचित होगा कि इच्छुक लाभार्थियों के आवेदन पत्र संकलित कर सम्बन्धित बैंकों को समय से अग्रसारित किये जायें और समन्वय स्थापित कर ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। डी0एम0आई0सी0 की बैठकों में भी नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जाये और अपेक्षित प्रगति प्राप्त की जाये। जनपदवार कृषक अंश/बैंक ऋण का विवरण (**संलग्नक-7**) पर संलग्न है। मासिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ निम्न प्रारूप पर नियमित रूप से प्रस्तुत किये जायें:

नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरीगेशन योजनान्तर्गत
कृषक अंश/बैंक ऋण की प्रगति का प्रारूप

जनपद ....माह .... धनराशि लाख ₹ में

कम्पोनेन्ट	कुल निर्धारित लक्ष्य (लाख ₹)	माह में उपलब्धि		**योग**	क्रमिक उपलब्धि		**योग**	बैंकों के स्तर पर लम्बित	
		कृषकों द्वारा स्वयं	बैंक ऋण		कृषकों द्वारा स्वयं	बैंक ऋण		सं0	धनराशि
ड्रिप									
स्प्रिंकलर									

नोट :- लाभार्थी सूची संलग्न करनी होगी।

9) प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार -

माइक्रो इरीगेशन सिस्टम के अन्तर्गत औद्यानिक फसलों के लिए मुख्य रूप से ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को बढ़ावा दिया जाना है जिसके व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य डिस्ट्रीक्ट माइक्रो इरीगेशन कमेटी के दिशा-निर्देशन में सम्पादित की जायेंगी जिसके निमित्त योजनान्तर्गत व्यय की प्रशासनिक मद में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है। योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि ड्रिप एवं स्प्रिंकलर स्थापित करने वाले लाभार्थियों एवं सम्बद्ध तकनीकी कर्मियों का ओरियन्टेशन एवं तकनीकी प्रशिक्षण अपरिहार्य होगा। इस कार्य हेतु उ0प्र0 में स्थापित केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ पर प्रिसिजन फार्मिंग डेवल्पमेन्ट सेन्टर (PFDC) स्थापित है जिसके द्वारा माइक्रो इरीगेशन योजना एवं औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत प्लास्टीकल्चर कम्पोनेन्टस के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा मुहैय्या कराने हेतु उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अतः उचित होगा कि पी0एफ0डी0सी0 द्वारा प्रस्तावित इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विभागीय जनपदीय अधिकारियों द्वारा चयनित योजना लाभार्थियों की सूची उन्हें उपलब्ध करा दी जाये और क्लस्टर में ही उपयुक्त स्थान पर प्रशिक्षण प्रदान कराया जाये इसमें ऐसे किसानों का भी चयन किया जा सकता है जो भविष्य में ड्रिप सिंचाई की स्थापना हेतु इच्छुक हों।

10) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन -

योजनान्तर्गत स्थापित होने वाले माइक्रो इरीगेशन सिस्टम्स के नियमित निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार के स्तर पर सिस्टम स्थापित करने के उपरान्त नेशनल कमेटी आन प्लास्टीकल्चर एप्लीकेशन इन हार्टीकल्चर (एन0सी0पी0ए0एच0)/पी0एफ0डी0सी0, सीपेट, आई0ए0आई0, बी0आई0एस0, टेक्नीकल सपोर्ट ग्रुप के प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर अथवा रैन्डमली स्थापन तिथि से 3 वर्ष तक निरीक्षण किया जा सकेगा। अतः उचित होगा कि जो भी सिस्टम स्थापित किये जा रहें हैं वे पूर्णतया कार्यशील एवं प्रभावी रखे जायें और निरीक्षण के समय पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाये।

प्रदेश स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 की अध्यक्षता में स्टेट माइक्रो इरीगेशन कमेटी तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित डी0एम0आई0सी0 भी कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा सुनिश्चित करेंगी। भारत सरकार को प्रेषित की जाने वाली भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचनायें प्रत्येक माह की 03 तारीख को जिला स्तर से प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा जिससे भारत सरकार को नियमित रूप से 05 तारीख तक प्रस्तुत की जा सके। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के लिए निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक-6 एवं 7)** एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित रूप पत्र **(संलग्नक-8)** दिशा-निर्देश के साथ संलग्न

है। जो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के तुरन्त बाद पूर्ण कर निदेशक मिशन, राज्य औद्यानिक मिशन को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

11) स्टेट माइक्रो इरीगेशन कमेटी (एस0एम0आई0सी0) -

उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1773/58-7/2006 दिनांक 29-06-2006 के अनुसार कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एस0एम0आई0सी0 का गठन किया गया है जो योजना के कुशल कार्यान्वयन, राज्यांश की धनराशि की व्यवस्था, आवश्यकतानुसार वार्षिक कार्य योजना का निर्माण, निर्माता फर्मों के पंजीकरण, क्रेडिट व्यवस्था तथा पी0एफ0डी0सी0 (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ) के माध्यम से प्रशिक्षण आदि के कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मार्ग-दर्शन के लिए अधिकृत है। राज्य स्तरीय माइक्रो इरीगेशन कमेटी (SMIC) का स्वरूप निम्नवत है -

1.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, उद्यान, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4.	सचिव, पंचायती राज्य विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5.	कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7.	निदेशक, शोध, कृषि विश्वविद्यालय, उ0प्र0	सदस्य
8.	प्रधान वैज्ञानिक, पी0एफ0डी0सी0 (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), लखनऊ	सदस्य
9.	लीड बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	अध्यक्ष, मैंगो ग्रोवर एसोसियेशन	सदस्य
11.	प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 एग्रो	सदस्य
12.	इरीगेशन एसोसियेशन ऑफ इण्डिया के प्रतिनिधि	सदस्य
13.	कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ	सदस्य
14.	ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
15.	महानिदेशक उपकार	सदस्य
16.	निदेशक उद्यान/मिशन	सदस्य सचिव

उपरोक्त के अतिरिक्त कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देशिका के अनुसार एन.सी.पी.ए. एच. के प्रतिनिधि, राज्य स्तर के उत्पादक संघों के 2 प्रतिनिधि भी सदस्य के रूप में नामित हैं।

जिला माइक्रो इरीगेशन कमेटी (DMIC)

शासनादेश सं0 2909/58-2006-60/2006 दिनांक 29-06-2006 एवं समय-समय पर स्टेट माइक्रो इरीगेशन कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में योजना के कुशल कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय माइक्रो इरीगेशन कमेटी का गठन किया गया है। जिसका स्वरूप निम्नवत है-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला पंचायत राज्य अधिकारी	सदस्य
3.	कृषि, उद्यान, ग्राम्य विकास, सिंचाई एवं जल स्रोत आदि विभागों के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्र/कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	लीड बैंक के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	जिला पंचायत के प्रतिनिधि	सदस्य

7. तीन प्रगतिशील कृषक — सदस्य
8. प्राथमिक औद्यानिक सहकारी समिति के प्रतिनिधि — सदस्य
9. जनपद स्तर के उद्यान अधिकारी — सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति वार्षिक कार्य योजना की संरचना एवं उसका अग्रसारण, क्रेडिट बैंक ऋण की व्यवस्था, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण एवं समीक्षा, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक माह की प्रगति रिपार्ट आदि कार्यो को सुनिश्चित करेगी। डी0आई0सी0 की नियमित बैठक त्रैमासिक स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी, जिन जनपदों में डी0एम0आई0सी0 का गठन अभी तक नहीं हुआ है उनके जनपदीय उद्यान अधिकारी/सदस्य सचिव, डी0एम0आई0सी0 तत्काल गठन की कार्यवाही सुनिश्चित कर सदस्य सचिव, एस0एम0आई0सी0 को संसुचित करेंगे। योजना के नियमित मूल्यांकन एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु जनपद स्तर पर निम्नानुसार एक उप समिति गठित की जायेगी जो स्थापना के पश्चात स्थलीय सत्यापन सुनिश्चित करते हुए डी0एम0आई0सी0 को अपनी रिपार्ट प्रस्तुत करेगी एवं तद्नुसार सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उपसमिति का स्वरूप निम्नवत है-

1. के0वी0के0 के वरिष्ठ वैज्ञानिक
2. सिंचाई/लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता
3. जनपदीय उद्यान अधिकारी

12) सत्यापन एवं मूल्यांकन -

योजनान्तर्गत स्थापित ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम के नियमित सत्यापन सुनिश्चित किये जायें ताकि कृषकों की समस्याओं का स्थल पर ही निदान किया जा सके। इस निमित्त उचित होगा कि योजना के लिए उत्तरदायी कर्मचारी एवं जिला स्तरीय उद्यान अधिकारी शत-प्रतिशत स्थलों का सत्यापन सुनिश्चित करें। मण्डलीय उपनिदेशक उद्यान 25 प्रतिशत स्थलों का सत्यापन एवं मुख्यालय स्तर से भी समय-समय पर रैण्डम सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी।

नेशनल मिशन ऑन माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत
साइट निरीक्षण रिपोर्ट

निरीक्षण की तिथि : ....

साइट का पूर्ण विवरण : ....

निरीक्षण कर्ता का नाम एवं पदनाम : ....

निरीक्षण साइट का विवरण : ....

कार्यदायी फर्म का नाम व पता : ....

ड्रिप/स्प्रिंकलर की सामग्री मे0 ....(आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम)

.... प्रोजेक्ट के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक

श्री/श्रीमती... ग्राम..

पोस्ट...तहसील..

जिला...को उनकी साइट पर आपूर्ति किये गये सामग्री का

निरीक्षण किया गया तथा बी0आई0एस0 मानक के अनुसार पाया गया।

फर्म के अधिकृत सेवा अभियन्ता/निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर		कृषक का नाम एवं
पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर	नाम :	हस्ताक्षर
(सील)	पदनाम :	तिथि :
	तिथि :	

नेशनल मिशन ऑन माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत अनुदान (Subsidy) की गणना

1. योजना का नाम : ....

2. आच्छादित क्षेत्रफल :...हे0

3. फसल : .... स्पेसिंग : ....

मी0 x ....मी0

4. पौधों की सं0 : ....

5. बाग/प्रक्षेत्र (जिसमें ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति स्थापित होनी है) का नजरी नक्शा तथा पौध से पौध एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी (संलग्न करें)

6. नजरी नक्शा के आधार पर ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का आंगणन निम्नांकित प्रारूप पर

क्र0 सं0	प्रयोग होने वाले कम्पोनेन्ट का नाम	इकाई	सं0	कुल लागत रू0 में	अनुमन्य अनुदान रू0 में	कृषक अंश रू0 में	कृषक अंश किस रूप में प्राप्त हुआ (चेक/नकद/ बैंक ऋण) विवरण दें (सं0/धनराशि)

लाभार्थी कृषक के हस्ताक्षर

फर्म के अधिकृत सेवा अभियन्ता/
पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर

नेशनल मिशन ऑन माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत स्वीकृति आदेश का प्रारूप

प्रेषक,

....

....

....

सेवा में,

श्री/श्रीमती,...

ग्राम...पोस्ट..

तहसील......................................जिला..

श्रेणी...

विषय : नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरीगेशन योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन सं0 .... दिनांक .... की स्वीकृति सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र क्रमांक सं0 ....दिनांक ....के क्रम मे0 .... (फर्म का नाम) से प्राप्त आगणन के परीक्षणोपरान्त.......................................हे0 में................ ....फसल के लिए कुल धनराशि रू0 ....की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसके सापेक्ष कुल धनराशि का ------------- प्रतिशत राज सहायता (दो किश्तों में) धनराशि रू0...एकाउन्टपेई चेक भुगतान के माध्यम से संतोषजनक ड्रिप/स्प्रिंकलर स्थापना के उपरान्त कार्यदायी फर्म को किया जायेगा। अनुदान के अतिरिक्त शेष धनराशि आपके द्वारा कृषक अंश के रूप में कार्यदायी संस्था को सीधे भुगतान की जायेगी।

(जनपदीय उद्यान अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम एवं पदनाम के साथ

पृष्ठांकन संख्या /उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 कार्यदायी फर्म।

2 बैंक ऋण के केस में सम्बन्धित बैंक को आवश्यकतानुसार।

(जनपदीय उद्यान अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम एवं पदनाम के साथ

नेशनल मिशन ऑन माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत
सिस्टम स्थापना की संतोषजनक रिपोर्ट

लाभार्थी/कृषक का नाम ....ग्राम......................... ....ब्लाक...तहसील........................ ....जिला......................................प्रदेश.. ....स्थापित सिस्टम..ड्रिप/स्प्रिंकलर फसल.................. ....क्षेत्रफल.....................................हे0

प्रमाणित किया जाता है कि मे0.. ....(कार्यदायी संस्था का नाम) के द्वारा मेरे उपरोक्त साइट पर ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम की आपूर्ति कर स्थापित कर दिया गया है। सभी प्रकार से कार्य पूर्ण हो गया है तथा मुझको चलाकर ट्रायल दे दिया गया है। सिस्टम सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है कार्यदायी फर्म द्वारा सिस्टम को चलाने तथा अनुरक्षण का पूर्ण प्रशिक्षण दे दिया गया है। मुझे फर्म के कार्यो से कोई शिकायत नहीं है। अतः कृपया फर्म को भुगतान की जाने वाली राज सहायता/अनुदान की धनराशि अवमुक्त कर दी जाये।

स्थान : ....

दिनांक : ....

लाभार्थी/कृषक के हस्ताक्षर

Annexure-8

National Mission on Micro Irrigation

UTILIZATION CERTIFICATE

(Against GOI Share)

S. No.	Letter No./ Date	Amount

Certified that out of Rs...................................... ....of grants-in-aid sanctioned during the year.............................in favour of .... under this Ministry/Department Letter No. given in the margin and Rs... ....has been utilized for the purpose of approved scheme for which it was sanctioned and that the balance of remaining unutilized at the end of the year has been surrndered to Government (vide No...dated..................................) will be adjusted towards the grants-in-aid payable during the year.................................

I. Certified that I have satisfied myself that the condition on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised.

Signature ....

Designation..

Date ....

नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरीगेशन
प्रमुख गतिविधियाँ एवं शेड्यूल

लाभार्थी चयन हेतु प्रार्थना पत्रों का आमंत्रण	:	• प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से योजना का प्रचार-प्रसार, आवेदन पत्रों का आमंत्रण। • राज्य औद्यानिक मिशन के चयनित लाभार्थियों में से ड्रिप/ स्प्रिंकलर हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों का चयन। • अन्य श्रोतों से ज्ञात इच्छुक कृषकों को आवेदन पत्र, पंजीकृत फर्मों के नाम एवं दरों का विवरण उपलब्ध कराया जाना।
एनएमएमआई पंजिका में अंकन	:	प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर एनएमएमआई पंजिका में प्रविष्टि।
लाभार्थी सूची तैयार करना	:	प्राप्त आवेदन पत्रों में से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों की सूची तैयार करना।
डी0एम0आई0सी0 से अनुमोदन	:	जिला माइक्रो इरीगेशन समिति (डी0एम0आई0सी0) से अनुमोदन।
लाभार्थी कृषक को बैंक ऋण हेतु आवेदन पत्रों का अग्रसारण	:	अन्तिम रूप से चयनित इच्छुक कृषकों को बैंक ऋण हेतु आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित कराना, समन्वय कर बैंक ऋण की स्वीकृति के सम्बन्ध में कार्यवाही।
पंजीकृत फर्मों को सूचित करना	:	लाभार्थियों द्वारा चयनित फर्म को लाभार्थियों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराते हुए आगणन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना।
आगणन का परीक्षण	:	न्यूनतम सहायक उद्यान निरीक्षक अथवा क्षेत्रीय सलाहकार (संविदा) के स्तर से स्थलीय निरीक्षण एवं अनुदान की गणना।
पद्धति स्थापना की स्वीकृति	:	निरीक्षण के पश्चात् जनपदीय अधिकारी द्वारा प्रस्तावित कार्य का अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की जायेगी जिसकी सूचना लाभार्थी एवं सम्बन्धित फर्म को दी जाये।
फर्म द्वारा पद्धति स्थापना	:	स्वीकृति/कार्य आदेश प्राप्ति के 20 दिन के अन्दर फर्म द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर की स्थापना पूर्ण की जाये।
स्थलीय सत्यापन	:	सत्यापन (मात्रा एवं गुणवत्ता) एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र लाभार्थी कृषक से प्राप्त करना।
कृषक अंश का भुगतान	:	लाभार्थी अंश का भुगतान कृषक स्वयं फर्म को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
अनुदान का भुगतान		**पद्धति की सफल स्थापना एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर भुगतान निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाये :-** अ) बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करने की स्थिति में जनपदीय उद्यान अधिकारी अनुदान का भुगतान सम्बन्धित बैंक को करेंगे। ब) अनुदान की धनराशि का भुगतान इलेक्ट्रानिक ट्रान्सफर/एकाउण्टपेई चेक/ड्राफ्ट द्वारा लाभार्थी की संस्तुष्टि के उपरान्त निर्माता फर्म/ अधिकृत डीलर को किया जाये।